न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस **संख्या 2021/115**

1. ख्यालीराम
2. मामराज
3. ताराचन्द
4. ओमप्रकाश
5. बनवारीलाल पुत्रान स्व. श्री छीतरमल, जाति बलाई, निवासी ग्राम बुचारा, तहसील पावटा, जिला जयपुर ।

–अपीलांट्स

बनाम

1. श्री श्यामलाल पुत्र स्व. श्री शिवदयाल तथाकथित दत्तक पुत्र स्वर्गीय श्री छीतर बलाई, जाति बलाई, निवासी ग्राम बुचारा, तहसील पावटा, जिला जयपुर।
2. श्रीमति रूडी देवी धर्मपत्नि श्री सोहनलाल पुत्री स्व० श्रीमति प्रभाती एंव स्व. श्री छीतर, जाति बलाई, निवासी ग्राम जवानपुरा, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर ।
3. ग्राम पंचायत बुचारा, पंचायत समिति प्रागपुरा–पावटा, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत, तहसील पावटा, जिला जयपुर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पावटा, तहसील पावटा, जिला जयपुर ।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार प्रकरण संख्या 02/2020 आदेश दिनांक 23.03.2021 उनवानी प्रभाती बनाम मामराज व अन्य।

उपस्थित–

1. श्री संजय शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री सुनील कुमार शर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक– 25.06.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार पावटा जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड के निर्णय दिनांक 23.03.2021 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटपूतली द्वारा ग्राम बूचारा तहसील कोटपूतली में स्थित आराजी खसरा नं. 1192/1.19 है0 का ग्राम पंचायत बुचारा द्वारा खोले गये मृतक खातेदार छीतर पुत्र महादेव की विरासत का नामा0 संख्या 19 को निरस्त कर तहसीलदार कोटपूतली

संभागीय आयुक्त जयपुर

को मृतक खातेदार छीत्तरमल पुत्र रामदेव के वारिसान् की जांच कर उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुये पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करने के आदेश दिनांक 07.09.2015 को दिये गये। रिमाण्ड पत्रावली स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर तहसीलदार पावटा द्वारा नामा0 संख्या 19 को निरस्त कर खसरा नं. 1192 रकबा 1.19 है0 में छीतर पुत्र रामदेव हिस्सा 1/2 जाति बलाई के स्थान पर श्यामलाल दत्तक पुत्र छीतर एवं रूडी देवी पुत्री छीतर बलाई के नाम नवीन नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.03.2021 को दिये गये।

3. तहसीलदार पावटा जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड के उक्त निर्णय दिनांक 23.03.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट ख्यालीराम पुत्र स्व. श्री छीतरमल वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार पावटा जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड के निर्णय दिनांक 23.03.2021 को निरस्त कर नामा0 संख्या 19 बहाल किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम बुचारा, तत्कालीन तहसील कोटपूतली, हाल तहसील पावटा स्थित भूमि साबिका खसरा नम्बर 885 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा अपीलार्थीगण के पिता स्व. श्री छीतर पुत्र रामदेव की खातेदारी एवं वास्तविक व भौतिक कब्जे–काश्त की भूमि है। जिससे वर्तमान भू–प्रबन्धन के दौरान नवीन नम्बर 1192 रकबा 1.19 हैक्टेयर बनाए गए हैं। अपीलार्थीगण के पिता स्व. श्री छीतर पुत्र रामदेव का दिनांक 14–1–1985 को स्वर्गवास होने पर उनकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 19 दिनांक 30–5–1986 को तहसीलदार कोटपूतली द्वारा अपीलार्थीगण के नाम स्वीकृत किया गया और तब से ही अपीलार्थीगण का नाम बहैसियत खातेदार काश्तकार समस्त राजस्व भू–अभिलेखों अंकित है। अपीलार्थीगण अपने पिता के समय से ही विवादित भूमि पर निरंतर एवं निर्बाध रूप से संयुक्त रूप से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। ग्राम बुचारा में छीतर नाम के दो व्यक्ति थे जिनके पिता के नाम भी रामदेव एंव जाति चमार/बलाई था हालांकि दोनो की आयु लगभग 7–8 वर्ष का अन्तर था। अपीलार्थीगण के नाम विधिवत स्वीकृत किये गये नामांतरकरण संख्या 19 दिनांक 30–5–1986 के विरुद्ध लगभग 26 वर्ष पश्चात दिनांक 18–9–2012 को रेस्पोडेंट संख्या 1 तथा प्रभाती देवी बेवा छीतरमल नामक महिला ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के समक्ष एक मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की जिसे वर्ष 2014 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली द्वारा नामांतरकरण संख्या 19 को निरस्त कर पत्रावली को तहसीलदार कोटपूतली को नामांतरकरण संख्या 19 में वर्णित भूमि एंव खातेदार मृतक छीतर पुत्र रामदेव बलाई के वैधानिक उत्तराधिकारीयों की जॉच कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दी ।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली के उक्त निर्णय दिनांक 7–9–2015 के विरुद्ध अपीलार्थीगण ने द्वितीय अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जिसे माननीय न्यायालय ने यह कहते निरस्त फरमा दिया कि अपीलाधीन आदेश में नामांतरकरण संख्या 19 में वर्णित भूमि एंव खातेदार के वैधानिक

उत्तराधिकारीयों की जाँच कर पुनः पक्षकारों को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर देकर विधिसम्मत कार्यवाही किए जाने का ही निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा दिया गया है, अपीलांटस को अपना पक्ष तहसीलदार के समक्ष रखकर अपने हक–हकूकों हेतु चाराजोही करने का अवसर प्राप्त है। अतः निर्णय में हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किये गये उक्त निर्णय दिनांक 19–7–2016 से पूर्व ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली ने दिनांक 12–1–2016 को अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली के आदेशों की पालना में नामांतरकरण संख्या 19 के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ कर दी और प्रकरण संख्या 2/2016 दर्ज कर पक्षकारो को नोटिस जारी कर दिये तथा पटवारी हल्का को छीतर पुत्र रामदेव को वारिसानों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। अपीलार्थीगण को उक्त प्रकरण के सम्मन प्राप्त होने पर वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए तथा उन्होंने अपनी ओर से समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं शपथ पत्र आदि प्रस्तुत किए जिन्हें नजरअंदाज कर तहसीलदार पावटा ने विधि के समस्त सुस्थापित सिद्धांतों एवं बाध्यकारी प्रावधानो के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23–3–2021 को पारित कर दिया । रेस्पोडेंटस संख्या 2 ने स्वयं अपीलार्थीगण के पक्ष में दिनांक 18–7–2016 एवं 24–9–2019 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दो बार अलग–अलग समय पर उपस्थित होकर अपना शपथ पत्र साक्ष्य में प्रस्तुत करते हुए यह सशपथ सत्यापित कथन किये हैं कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 1192 से उसके पिता स्व. श्री छीतरमल एवं माता श्रीमती प्रभाती देवी का कोई संबंध एवं ताल्लुक वास्ता नहीं रहा है। इस जमीन के वास्तविक खातेदार छीतर पुत्र रामदेव अलग व्यक्ति थे जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं था तथा उक्त भूमि पर स्व. श्री छीतर के जीवनकाल से ही उसके पुत्र अर्थात अपीलांट्स ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं और मौके पर आज भी काबिज हैं, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा किये गये उक्त कथनो के वैधानिक महत्व को नजरअन्दाज कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पॉईंट संख्या 2 के शपथ पत्रों से रेस्पोर्डेट संख्या 1 अथवा उसकी तथाकथित दत्तक माता प्रभाती देवी के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना अंकित करते हुए पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता छीतर पुत्र रामदेव का देहांत दिंनाक 17–5–1975 को हो चुका था । यदि विवादित भूमि उक्त छीतर पुत्र रामदेव की खातेदारी एवं कब्जे – काश्त की भूमि होती तो 17–5–1975 से लेकर वर्ष 2012 में अपील प्रस्तुत करने से पूर्व रेस्पोडेंट एवं मृतक प्रभाती देवी द्वारा विवादित भूमि की खातेदारी अपने नाम अंकित करवाने हेतु कोई चाराजोही नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने आपत्ति प्रार्थना पत्र का निरस्तारण किए बिना ही आई.एल. आर. द्वारा प्रस्तुत एक पक्षीय एवं असत्य रिपोर्ट को ही आधार बनाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। प्रभाती देवी का लगभग 93–94 वर्ष की आयु में देहांत भी हो चुका है और उनके देहांत के उपरात भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य एवं दस्तावेज के रेस्पोडेंट संख्या 1 को प्रभाती देवी एवं छीतर का दतक पुत्र होना मानकर उनके पक्ष में विवादित भूमि खसरा नम्बर 1192 का नामातंरकरण खोले जाने का अवैध आदेश पारित किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। वर्ष 2011 में रेस्पोडेंट संख्या 1 ने श्रीमती प्रभाती के नाम अंकित गैर खातेदारी की भूमि को अपने प्रभाव से दिनांक 21–1–2011 को खातेदारी में अंकित करवाया तथा दिनांक 18–5–2011 को उक्त भूमि को अपनी औरस माता श्रीमती बनारसी देवी के नाम विक्रय पत्र के माध्यम से

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हस्तांतरित करवा कर छीतर पुत्र रामदेव नामक दो व्यक्ति गांव में होने एवं अपीलार्थीगण के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से असक्षम होने का अनुचित लाभ उठाकर उनकी पैतृक सम्पति विवादित भूमि खसरा नम्बर 1192 को हड़प करने के लिए उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही की है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर गौर किये बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार पावटा जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड दिनांक 23.03.2021 को निरस्त कर नामा0 संख्या 19 बहाल किया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष श्री श्यामलाल के द्वारा ने अपना जवाब साक्ष्या सबुत दस्तावेज शपथ पत्र पेश किया गया था एवं अपना गोदनामा भी रजिस्टर्ड पेश किया गया हैं व गांव के सम्मानित व्यक्तियों के शपथ पत्र भी पेश किये गये है जिससे यह साबित होता है कि छीतरमल के विधिक वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्यामलाल है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में समस्त पत्रावली राजस्व रिकार्ड दस्तावेज शपथ पत्र एंव उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजो का अवलोकन के आधार पर यह माना है कि प्रकरण में आराजी खसरा नम्बर 1192 रकबा 1.19 है. वाके मौजा हिस्से 1/2 के खातेदार छीतर पुत्र रामदेव दर्ज रिकार्ड है। जिनकी मृत्यु दिंनाक 17.05.1975 की हुई थी। अपीलांट्स स्वयं को छीतर का विधिक वारिस बताते है। अपीलांट प्रभाती देवी का यह कथन है कि वह छीतर पुत्र रामदेव की पत्नि है प्रभाती की मृत्यु दिंनाक 09.07.2014 को हो चुकी है। छीतर व प्रभाती की एकमात्र जायन्दा संतान उनकी पुत्री रूड़ी देवी है। प्रभाती पत्नि छीतरमल ने अपने जीवनकाल में ही दिंनाक 13.01.2009 को पंजीकृत गोदनामा द्वारा अपींलाट संख्या 2 श्यामलाल को गोद ले लिया था। दुसरी ओर अपीलांट संख्या 1 लगायत 5 के पिता का नाम भी छीतर पुत्र रामदेव बलाई था जिनके विधिक वारिसान उनकी पत्नि मुगनी देवी एंव पुत्र मामराज ताराचन्द, ओमप्रकाश, ख्यालीराम, बनवारी एंव पुत्री रोशन देवी है। वारिसान के बाबत पटवारी हल्का बुचारा की रिर्पोट दिनाक 25.08.2016 से पुष्टि होती है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में उक्त विवादित आराजी पर प्रभाती देवी पत्नि छीतर बलाई का कब्जा बताया है। प्रकरण में उक्त रिपोर्ट के विरूद्ध ख्यालीराम पिता छीतर द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई गई न्यायहित में उनकी आपति स्वीकार कर पुनः भू.अ. निरीक्षक टसकोला से रिर्पोट तलब की गई तो उन्होने अपनी रिपोर्ट में बताया कि छीतर पुत्र रामदेव नाम से दो व्यक्ति है। जिनमें एक के वारिसान प्रभाती देवी एंव रूड़ी देवी पुत्री है। प्रभाती देवी ने रजिस्ट्रर्ड गोदनामें से श्यामलाल पुत्र शिवदयाल बलाई निवासी बुचारा को गोद ले लिया था। दुसरे छीतर के वारिसान उनकी पत्नि सुगनी देवी एंव पुत्र मामराज ताराचन्द, ओमप्रकाश, ख्यालीराम, बनवारीं एंव पुत्री रोशन देवी है। रिर्पोट में अवगत कराया गया कि खसरा नम्बर 1192 बूजावाली खेत के नाम से जाना जाता है। बूजावाली प्रभाती देवी पत्नि छीतर बलाई थी जिनका निवास ग्राम बुचारा ही था। मौके पर गीता देवी पत्नि छोटूराम जाति रैगर निवासी ढाणी चाडोदिया तन बुचारा ने बताया कि उक्त भूमि को प्रभाती देवी की पुत्री रूड़ी देवी के पति सोहन बलाई ने हमें बेच दी थी। जिस पर हम काश्त कर रहे है। उक्त भूमि बूजावाली यानि

संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रभाती देवी के नाम से रिकार्ड में नहीं होने से मेरे नाम नहीं हो सकी। खसरा नम्बर 1192 बूजावाली मौजा बुचारा पर श्यामलाल पुत्र शिवदयाल बलाई निवासी में बुचारा का कब्जा है। मामराज वगै0 का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है। प्रकरण प्रस्तुत विधानसभा निर्वाचक नामावली 1971 के अनुसार भाग संख्या 114 की क.सं. 152,153 पर छीतर पुत्र रामदेव सुगनी पत्नि छीतर का नाम अंकित है। निर्वाचन सूची 1958 के अनुसार क. सं. 268,269 पर छीता/रामदेव एंव सुगनी/छीता अंकित है एंव कं सं. 235,236 पर छीतरमल पुत्र रामदेव एंव प्रभाती देवी पत्नि छीतरमल का नाम अंकित है। उक्त रिकार्ड के आधार पर भी प्रार्थी ने अपने निर्वाचन सूची से संबंधित दस्तावेज व पटवार हल्का की रिपोर्ट व गांव के सम्मानित व्यक्तियों के शपथ पत्रों से भी यह जाहिर होता है कि उक्त भूमि पर प्रार्थी रेस्पोडेंट संख्या 1 श्यामलाल का कब्जा है और प्रभाती देवी पत्नी छीतरमल का पुत्र है। इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश 23.03.2021 करे पारित किया गया है वह विधि अनुसार सही पारित किया गया है। कि अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर महोदय कोटपूतली एवं तहसीलदार महोदय द्वारा जो आदेश पारित किये गये है वह विधि अनुसार सही पारित किये गये है जिसमे अधिनस्थ कर्मचारियों की रिपोर्ट मंगवाकर के मौके की स्थिति का अवलोकन करके ग्रामवासियों के बयान लेकर के भू. अ. निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त करके विधानसभा निर्वाचक नामावली 1971 के अनुसार भाग संख्या 114 की क्रम संख्या 152, 153 का पूर्ण रूप से अवलोकन करके तथा मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा खानदान की पूर्ण रूप से जांच करके रजिस्टर्ड गोदनामें की जांच करके विधि अनुसार अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया है। अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर अपीलांट्स का उक्त विवादग्रस्त आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पावटा द्वारा विधिवत् ही मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसान् की जॉच पश्चात् ही प्रार्थीगण के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत किया गया है। जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद मृतक खातेदार छीतर पुत्र रामदेव निवासी ग्राम बुचारा की विरासत को लेकर है। जो कि ग्राम बूचारा तहसील कोटपूतली में स्थित आराजी खसरा नं. 1192/1.19 है0 हिस्सा 1/2 खातेदार दर्ज था। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटपूतली के समक्ष प्रभाती देवी बेवा छीतरमल एवं श्यामलाल दत्तक पुत्र छीतरमल द्वारा लगभग 28 वर्ष बाद अपीलार्थीगण के पक्ष में ग्राम पंचायत बुचारा द्वारा तस्दीक नामा0 संख्या 19 को चुनौती दिये जाने पर अति0 जिला कलक्टर कोटपूतली द्वारा नामा0 संख्या 19 दिनांक 30.05.1986 को निरस्त कर तहसीलदार कोटपूतली को मृतक खातेदार छीतर पुत्र रामदेव के वारिसान् की जांच कर उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुये पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करने के आदेश दिनांक 07.09.2015 को दिये गये। तहसीलदार कोटपूतली द्वारा केवल मात्र पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों के अवलोकन के आधार पर ही नामा0 संख्या 19 को निरस्त कर खसरा नं. 1192 रकबा 1.19 है0 में छीतर पुत्र रामदेव हिस्सा 1/2 जाति बलाई के स्थान पर श्यामलाल दत्तक पुत्र छीतर एवं रूडी देवी पुत्री छीतर बलाई के नाम नवीन नामान्तरकरण दर्ज

संभागीय आयुक्त
जयपुर

किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.03.2021 को दिये गये। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजात् उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि छीतर पुत्र रामदेव के विधिक वारिसान् कौन हैं। एवं उक्त अपीलाधीन निर्णय में भी इस विधिक बिन्दू की दस्तावेजी प्रमाणित जॉच की हो ऐसा भी वर्णन नहीं है। चूंकि प्रकरण में पक्षकारान् द्वारा मृतक खातेदार छीतर पुत्र रामदेव की मृत्यु की दिनांक भी 17.05.1975 एवं 14.01.1985 भिन्न–भिन्न अंकित की है। ऐसी स्थिति में मृतक खातेदार के विधिक वारिसान् के बिन्दू की जॉच किया जाना अति आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर किसी भी पक्ष द्वारा कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि मृतक खातेदार के विधिक वारिसान होना प्रमाणित होता हो। जब किसी भी पक्ष के पास वारिसान् के संबंध में दस्तावेज एवं प्रमाण उपलब्ध ना हो तो ऐसी स्थिति में मृतक खातेदार छीतर पुत्र रामेदव के विधिक वारिसान् की जांच नामान्तरकरण जैसी फिसकल कार्यवाही के दौरान नहीं की जा सकती है ना ही अधिकार तय किये जा सकते है। चूंकि नामान्तरकरण एक फिसीकल प्रोसेंडिग है इसके तहत किसी के अधिकारों का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। मृतक खातेदार छीतर पुत्र रामदेव के विधिक वारिसान के संबंध में सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही उत्तराधिकार के संबंध में जांच कर हक–हकूक अधिकार निर्धारित किये जा सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पावटा जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने योग्य है। उभयपक्ष अपने हक–हकूक अधिकार प्राप्त करने के लिए सक्षम सिविल न्यायालय में उत्तराधिकार के संबंध में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

अतः आदेश है किः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पावटा जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड का निर्णय दिनांक 23.03.2021 निरस्त किया जाता है तथा नामान्तरकरण संख्या 19 दिनांक 30.05.1986 से पूर्व की स्थिति बहाल की जाती है तहसीलदार पावटा को आदेश दिये जाते हैं कि सक्षम सिविल न्यायालय से अधिकार तय होने के उपरान्त ही नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावे।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर